

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 130)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भाँवला पटवार मण्डल भाँवला
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना तहसील अजमेर की जमाबंदी संवत् २०७२-७५ खाता
सं० १८६ में हंसकंवर पुत्री मदन सिंह चाँद कंवर पाली मदन पप्पू सिंह व सोहन सिंह
पि. मदन सिंह जाति राजपूत सा. डेटेड २६/०६/२०१० अंकन है। जबकि जमाबंदी संवत्
के खाता संख्या में कल्या काश नदी होते से शिवायचक सिद्धे जे का शज कराय!
अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी
में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं० के अनुसार दुरुस्ती
करने की कृपा करावे।

दिनांक

प्रार्थी अजमेर

संलग्न-

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर
क्रमांक/भू.अ./ १४७/ दिनांक ०४/०७/२३

पता प.त. भाँवला

मो० न०

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि खाता सं० १८६ एन.नं० १६१६/३६५७, १६१७/४०६०, २२४४
हंसकंवर पुत्री मदन सिंह चाँद कंवर पाली मदन पप्पू सिंह व सोहन सिंह अंकन ०.१८, ०.१०, १.६६
जाति राजपूत सा. डेटेड २६/०६/२०१० अंकन दर्ज है जो गलत है।
अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन ०.१८, ०.१०, १.६६ का कल्या काश नदी
शिवायचक शरी का अंकन कर लेते हैं
दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

अजमेर
हस्ताक्षर पटवारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

०३/०७/२३
हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

अजमेर
हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार, अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

क्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/228

०० आदेश ००

दिनांक- ५/७/२३

रिपोर्ट व अनुशंसा पटवारी हल्का भाँवला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना व तहसीलदार
अजमेर के आधार पर ग्राम भाँवला पटवार मण्डल भाँवला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना
तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं० १८६ खसारा नम्बर ११६, १६१७, २२४४ पर
३६५७, ४०६० नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130 के अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं।
तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का गिलान/जांच एवं भा. न्यायालय
में वाद विचाराधीन एवं रथगन आदेश की पूर्ण जागरूकता करने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे।

(शिवायचक का अंकन)

अजमेर
उपखण्ड अधिकारी अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
शिविर प्रभासी
महगाई राहत कैम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023